

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी:- कैलाश चन्द गुर्जर, उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

प्रकरण संख्या- 52/2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

1. शम्भू पुत्र भोला बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम बलकुण्डीकलां तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।

2. शंकरी पत्नि शम्भू जाति बलाई निवासी ग्राम बलकुण्डीकलां तहसील रावतभाटा, चित्तौडगढ़
.....प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।

.....विपक्षीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :- श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत।

दिनांक:- 25.05.2022

—:आदेश:-

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम मौजा बलकुण्डीकलां प0ह0 बलकुण्डीकलां तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 91 खसरा संख्या 386/415 रकबा 1.08 है0 प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जेकाशत की है जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 386/415 के पड़ोसी खातेदार व प्रार्थीगण के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीगण की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया- प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के सहखातेदार काशतकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है ग्राम मौजा बलकुण्डीकलां प0ह0 बलकुण्डीकलां तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 91 खसरा संख्या 386/415 रकबा 1.08 है0 प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिफेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/-रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2022 को खुले न्यायालय के इजाजत में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़